झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0सं0 : 17/चिशि-02-02/2024-32(17) रांची/दिनांक : 10-12-2024

आदेश

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढावा देना है। यह योजना वर्तमान में हेल्थ केयर सिस्टम के विभिन्न क्रिया–कलापों को डिजिटल माध्यम से सुचारू रूप से सुदृढ़ करने में मद्द करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की परिकल्पना देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकरण, दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता के सुधार के लिए की गई है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मुख्यतः चार प्रमुख स्तंभ हैं, जो कि निम्नलिखित हैं–

1. आभा नम्बर
2. हैल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री
3. हैल्थ केयर प्रोफेशनल की रजिस्ट्री
4. अस्पतालों में HMIS के End to End Solutions को स्थापित करना एवं डाटा लिंकेज कराना।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि इस कार्यक्रम की अपेक्षित प्रगति चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संविदा पर कार्यरत कर्मियों के परस्तर समन्वय के अभाव एवं अनुश्रवण की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में चिकित्सा महाविद्यालयों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी के कार्यों/दायित्वों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. **निदेशक/प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय–**

1.1 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशक/प्राचार्य का होगा।

1.2 निदेशक/प्राचार्य अपने स्तर से चिकित्सा महाविद्यालय के किसी पदाधिकारी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे।

1.3 चिकित्सा महाविद्यालय के सभी डॉक्टर एवं नर्सों का शत्–प्रतिशत HPR बनवाना सुनिश्चित करेंगे।

1.4 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत सभी नागरिकों का आभा नं0 बनाया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे में बृहद् प्रचार–प्रसार करते हुए सभी चिकित्सा कर्मी एवं ओ0पी0डी0 में आने वाले सभी मरीजो एवं उनके परिजनों का आभा नं0 बनवाना सुनिश्चित करेंगे।

1.5 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का End to End (पंजीयन से Discharge तक) डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य है। अतः निदेशक/प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय में HMIS के सभी Module को सुचारू रूप से प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

2. **नोडल पदाधिकारी, ए0बी0डी0एम0**– निदेशक/प्राचार्य अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को, जो कि आई0टी0 में रूचि रखते हों, को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नोडल पदाधिकारी नामित करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि HMIS का क्रियान्वयन चिकित्सा महाविद्यालय में होना है, इसके लिए आवश्यक है कि चिकित्सा महाविद्यालय के नोडल पदाधिकारी का निम्न दायित्व होगा–

2.1 निदेशक/प्राचार्य/अधीक्षक के सहयोग से कम्प्यूटर/डेस्कटॉप एवं अन्य उपस्करों का आंकलन कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.2 निदेशक/प्राचार्य/अधीक्षक के सहयोग से पर्याप्त मानवबल अस्पताल में HMIS क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.3 नोडल पदाधिकारी, अपने स्तर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ बैठक कर आने वाली दैनिक समस्याओं का समाधान करेंगे।

3. **अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय**– चिकित्सा महाविद्यालय में सर्वप्रथम HMIS के समस्त घटकों का क्रियान्वयन किया जाना है। अतः अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय का दायित्व होगा कि वो अपने स्तर से समस्त विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

3.1 चिकित्सा महाविद्यालय में स्कैन एण्ड शेयर, विभिन्न विभागों में HMIS के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कम्प्यूटर एवं मानव बल, निदेशक/प्राचार्य की मद्द से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 OPD में डॉक्टर e-prescription के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराना।

3.3 सभी संबंधित डिपार्टमेन्ट को Digitalize कराते हुए HMIS के सभी मॉडयूल शुरू करवाना।

3.4 यह सुनिश्चित करना कि HMIS के मॉडयूल केवल Linked ही ना हो, अपितु उसमें डाटा भी उपलब्ध कराया जाए एवं मरीज PHR App की मद्द से अपना Digital Health Record भी देख पाए।

3.5 चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित प्रचार/प्रसार हेतु आई0ई0सी0 का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

3.6 उपाधीक्षक अपने स्तर से सभी विभागान्तर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में आने वाली दैनिक समस्याओं का समाधान करेंगे।

3.7 Digital Health Incentive Scheme (DHIS)- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत DHIS से अर्जित राशि से Hardware एवं मानव बल इत्यादि का प्रावधान किया जा सकता है।

3.8 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत होने वाले व्यय का Utilization Certificate ससमय देना सुनिश्चित करेंगे।

3.9 विभागीय पत्रांक– 361 (9) दिनांक– 21.07.2024 के तहत स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित उपस्कर का कय किया जा सकता है।

3.10 अनुश्रवण– निदेशक/प्राचाय अपने स्तर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रत्येक 15 दिनों में अनुश्रवण करते हुए अद्यतन प्रगति से राज्य अभियान निदेशक को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सभी पदाधिकारी अपन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सुचारू रूप से सुदृढ करने में मद्द करेंगे।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

32(17)
10-12-2024

ज्ञापांक : 17/विविध-02-06/2024/32(17) राँची/दिनांकः- 10-12-2024

प्रतिलिपि–

1. राज्य अभियान निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. निदेशक/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, झारखण्ड को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी अधीक्षक सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, झारखण्ड को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी नोडल पदाधिकारी, ए0बी0डी0एम0 सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव